न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/18/2019 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 21.11.2019

उनवान

1. तुलसीराम पुत्र कालु जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी लाखा का खेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
2. देवजी पुत्र प्रताप जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी लाखा का खेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
3. भैरूलाल पुत्र प्रताप जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी लाखा का खेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
4. नाबालिग मिठु पुत्र कालु संरक्षक भाई तुलसीराम पिता कालु जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी लाखा का खेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
5. रतनलाल पुत्र कालु जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी लाखा का खेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र गंगाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

——अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 04.01.2021

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 'ए' इस आशय से प्रस्तुत किया की प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा ग्राम लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 370 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 371 रकबा 0.04 हैक्टयर, आराजी नम्बर 372 रकबा 0.01 हैक्टयर, आराजी नम्बर 374 रकबा 0.17 हैक्टयर, आराजी नम्बर 381 रकबा 0.27 हैक्टयर, आराजी नम्बर 384 रकबा 0.35 हैक्टयर, आराजी नम्बर 385 रकबा 0.28 हैक्टयर , आराजी नम्बर 386 रकबा 0.40 हैक्टयर , आराजी नम्बर 387 रकबा 0.14 हैक्टयर, आराजी नम्बर 388 रकबा 0.44 हैक्टयर, आराजी नम्बर 391 रकबा 0.29 हैक्टयर, आराजी नम्बर 392 रकबा 0.43 हैक्टयर, आराजी नम्बर 414 रकबा 1.30 हैक्टयर, आराजी नम्बर 415 रकबा 1.06 हैक्टयर कुल किता 14 कुल रकबा 5.30 हैक्टयर स्थित है प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 384, 385, 386, 387, 388, 415, 414 में आने जाने व सिचाई कर फसल काश्त करने के लिए अप्रार्थी की आराजी नम्बर 389 की पूर्व दिशा की पाली पे होकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीया मे अपने बाप दादाओ के समय से ही आते जाते है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर

काश्त करते है एवं प्रार्थीगण की वर्णित आराजीयात की सिचाई करने के लिए खसरा स0 373 किस्म आ0 चा0 से उक्त वर्णित प्रार्थीगण की सामलाती आराजीयात की पिलाई कर फसल काश्त करते है। हम प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे अपने बाप दादाओ के समय से ही अप्रार्थी की आराजी नम्बर 389 की पूर्व दिशा की पाली पर होकर खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, कृषि औजार व ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने व कृषि फसल के बोने व अन्य कार्य तथा फसल उपज लाने व सिचाई का साधन लेकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे फसल बुवाई कर खसरा संख्या 373 से प्रार्थीगण की आराजीयात सिचाई कर काश्त करते चले आ रहे है मगर अप्रार्थी ने दिनांक 09.09.2019 को प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीया में फसल कटाई व काश्तकार्य करने के लिये अपनी आराजीयात में अप्रार्थी की आराजीयात में होकर जाने लगे तो अप्रार्थी ने आने जाने के लिये मना कर दिया और प्रार्थीगण को मां बहनो की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया और अप्रार्थी ने धमकी दी कि आयन्दा मेरी उक्त आराजी 389 की पूर्व दिशा की पाली पर होकर गये तो तुम लोगो को जान से ही खत्म कर दुगा प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात पर ही आश्रित होकर फसल काश्तकार अपना भरण पोषण कराते है एवं अप्रार्थी की आराजी नम्बर 389 की पूर्व दिशा की पाली का रास्ता ट्रैक्टर द्वारा दिनांक 19.10.2019 को जुताई कर फसल बुवाई कर दी इस कारण प्रार्थीगण को अपने आराजीयात मे आने जाने के लिए किसी भी दिशा से रास्ता उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर फसल काश्त भी नही कर पा रहे है। साथ ही आने जाने, फसल काश्त करने व सिचाई करने के लिये अप्रार्थी की आराजी नम्बर 389 के पूर्व दिशा की पाली के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजी मे आने जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता यही है तथा वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 389 के पूर्व दिशा की पाली पर स्थित रास्ते पर होकर आने जाने के लिये रोका है और रोकने के बाद उक्त रास्ते को अप्रार्थी द्वारा हकाई कर रास्ते के अलामात को नष्ट कर दिया है जिसको तत्कालीन स्थिति मे करवा कर उक्त रास्ते को रेकार्ड मे दर्ज कर प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात मे आने जाने के लिये नही रोके इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा हम प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयों पैसों में नही आंकी जा सकती है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को उक्त रास्ते के लिये डी0एल0सी दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का आदेश जारी फरमाया जावे कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने व खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने के लिये सिचाई कर काश्त करने के लिये अप्रार्थी की आराजी संख्या 389 की पूर्व दिशा की पाली पर रेकार्ड मय रास्ता कायम करके अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये नहीं रोके न ही ऐसा कृत्य स्वयं करें न ही अपने परिवारजन, नौकर, एजेण्ट आदि से करावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये समन तलब किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव लाखा का खेडा में प्रार्थीगण की आराजीयात स्थित होना स्वीकार है खसरा नम्बर की सम्पूर्ण जानकारी मुझ अप्रार्थी को नहीं है प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थीगण ने जिन आराजी खसरा नम्बर पर आने जाने के लिए मुझ अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 389 की पूर्वी पाली पर अपने बाप दादाओ के समय से ही आने जाने वाली बात बिल्कुल मनगढन्त अंकित की है। वास्तविकता यह है कि मुझ अप्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 389 में जबरन प्रार्थीगण नये सिरे से अपनी ताकत के बल पर रास्ता कायम करना चाहते है जबकि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 389 में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही रहा है एवं न वर्तमान में है प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने के लिए सुविधाजनक वैकल्पिक अन्य रास्ता वर्षो पुराना बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में आसानी से प्रवेश करते है एवं बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि आराम से लाते ले जाते है जो रास्ता भी मुझ अप्रार्थी की आराजीयात में से ही दे रखा है। मुझ अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 389 में कभी कोई रास्ता प्रार्थीगण का न तो पूर्व में था एवं न ही वर्तमान में है, वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण को

इनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 370, 371, 372, 374, 391, 392 में आने जाने व बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने के लिए गांव लाखा का खेडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 362 में स्थित गाडी गडार नुमा रास्ते से आते जाते है जो रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के सामलाती चाह नम्बर 373 तक पहुॅचता है। एवं इसी प्रकार प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 381 में पश्चिमी दिशा में स्थित आम रास्ते से प्रवेश करते है एवं आराजी खसरा नम्बर 384, 385, 386, 388, 387, 414, 415 में मुझ अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजी खसरा 382, 383 की दक्षिणी दिशा एवं आराजी खसरा नम्बर 416 की उत्तरी दिशा में स्थित मुझ अप्रार्थी द्वारा खातेदारी की जमीन में से छोडे गये रास्ते में से आते जाते है एवं बाप दादाओ के समय से ही इसी रास्ते से आते जाते है एवं इसी रास्ते से मेरा पुत्र पन्नालाल एवं अन्य हकदार आराजी खसरा नम्बर 413 में पहुॅचते है एवं उक्त रास्ते में से आने जाने के लिये मुझ अप्रार्थी ने गांव लाखा का खेडा से बामनिया जाने वाली मुख्य सडक पर एक बडी लोहे की फाटक भी बना रखी है जिसका उपयोग प्रार्थीगण व मय अप्रार्थी एवं मेरा पुत्र पन्नालाल व अन्य खातेदारान अपनी अपनी सुविधानुसार करते है। आराजी खसरा नम्बर 389 व 390 के बीच में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है केवल मात्र दोनो खेतो की पाली है जिससे पैदल आने जाने में कोई रूकावट कभी भी मुझ अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई।

प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहुॅचने के लिये मौके पर वैकल्पिक रास्ता जो उपरोक्त अनुसार वर्णित है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करते चले आ रहे है। मुझ अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 389 में किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो पूर्व में था एवं न ही वर्तमान में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार कपासन से प्राप्त होकर इस प्रकार है कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम लाखा का खेडा ग्राम आबादी से तुर्कियाखुर्द एवं भट्टो का बामनिया सम्पर्क की ओर आने वाली मुख्य सडक आराजी नम्बर 359 की पूर्व दिशा में स्थित आराजी नम्बर 416 की उत्तरी मेर के सहारे अन्दर की ओर 3 मीटर चौडा रास्ता आराजी नम्बर 415 जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज के उत्तरी पश्चिमी कोने तक मौके पर मौजूद है जो नजरी नक्शा मय बिन्दु बी से दर्शाया गया है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की आराजी नम्बर 389 कुल रकबा 0.90 हैक्टयर के सहारे सहारे से अन्दर की ओर होते हुए अपनी अन्य आराजी नम्बर 388 की उत्तरी मेर तक 3 मीटर चौडा रास्ता लेना चाहते है परन्तु वक्त मौका निरीक्षण दिनांक 15.07.2020 को मौके पर रास्ता नहीं है और मक्के की फसल खडी है।

दिनांक 29.12.2020 को दौराने बहस प्रार्थीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट व अप्रार्थी व उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार लढढा उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपने आराजीयात पर पहुॅच हेतु अप्रार्थी की आराजी नम्बर 389 की पूर्व दिशा की पाली पे होकर रास्ता चाहिए उक्त रास्ता वर्तमान में अप्रार्थी ने बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण काश्त नहीं कर पा रहे है साथ ही आराजी संख्या 373 किस्म आ0चा0 से पिलाई नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण लगातार काश्त कर रहे है जिसका प्रमाण खसरा गिरदावरी रबी संवंत् 2076 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जो शा0फा0 की गई। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में सिंचाई करने हेतु आराजी नम्बर 373 किस्म आ0चा0 में प्रवेश हेतु आराजी नम्बर 389 पर पाली छोडी गयी है जिसमें पैदल आने जाने के लिये कोई भी रूकावट अप्रार्थी द्वारा नही की गयी है साथ ही प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश हेतु मौके पर आराजी खसरा नम्बर 416 की उत्तरी दिशा में स्थित मुझ अप्रार्थी द्वारा आने जाने हेतु ट्रैक्टर आदि निकालने हेतु बाप दादाओ के समय से 3 मीटर रास्ता छोडा गया है जो मौका रिपोर्ट अनुसार लघुत्तम है व मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा मुझे परेशान करने की नियत से मेरे आराजी नम्बर 389 से रास्ता चाहा है जबकि उक्त आराजीयात पर मेरा अफीम का पट्टा है जिसके साक्ष्य मेने पत्रावली मे प्रस्तुत कर रखे है अतः निवेदन है कि मेरे द्वारा सिंचाई बाबत् पैदल जाने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिये पाली छोडे जाने से व मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र. खारिज फरमाया जावे साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की आर0आर0टी0 40 2014(1) उमाराम बनाम बृजलाल (U/s. 251-A new way can be created only when no alternative way is available.) व माननीय उच्चतम न्यायालय की आर0आर0टी0 649 2016(1) बाघ सिंह बनाम राजस्व मण्डल अजमेर और अन्य (Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 251-A-Application to provide a new way rejected by the Court-Alternative way was available- Petitioner cannot claim direct route in place of existing way-Held, Order of rejecting application is justified.) व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की आर0आर0टी0 1543 2019(2) जगदीश और अन्य बनाम मनफूल और अन्य (Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 251-A- New way granted from Kila Nos. 1, 10, 11, 20 and 21-Revenue Appellate Authority set aside the order-Applicants/Petitioners have alternative way and admitted in the reply-No justification for creating new way-Held, No illegality in the order passed by the Revenue Appellate Authority.) की दलीलें प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, मौका रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र व दलीलों का अवलोकन किया। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 'ए'(1)(ख) के तहत कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समुह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचॅने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1)यह आवश्यकता आत्यंकित आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(2)अन्य खातेदारी की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचॅने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो परन्तु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुॅच हेतु अप्रार्थी की आराजी नम्बर 416 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे अन्दर की ओर 3 मीटर चौडा रास्ता मौके पर उपलब्ध है जिसे अप्रार्थी ने अपने जवाब में भी स्वीकार किया है व आराजी खसरा नम्बर 389 व 390 के बीच में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है केवल मात्र दोनो खेतो की पाली है जिससे पैदल आने जाने व आराजी नम्बर 373 किस्म आ0चा0 से सिंचाई करने से कोई रूकावट पैदा नही की है। सिंचाई होने से व फसल काश्त होने से प्रार्थीगण काश्त कर रहे है जिसका प्रमाण खसरा गिरदावरी रबी संवंत् 2076 की प्रमाणित प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तथा प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 389–390 से रास्ता चाहा गया है वहां अफीम के पटटे है जिसके पटटे की फोटोप्रति पत्रावली के साथ संलग्न है।

अतः मौके पर वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 416 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे अन्दर की ओर 3 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251'ए'(1)(ख) के तहत वैकल्पिक साधन का अभाव नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन